

CHAPTER - VII

TAX INVOICE, CREDIT AND DEBIT NOTES

Section 31 : Tax invoice

(1) A registered person supplying taxable goods shall, before or at the time of,—

(a) removal of goods for supply to the recipient, where the supply involves movement of goods; or

(b) delivery of goods or making available thereof to the recipient, in any other case,

issue a tax invoice showing the description, quantity and value of goods, the tax charged thereon and such other particulars as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify the categories of goods or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed.

(2) A registered person supplying taxable services shall, before or after the provision of service but within a prescribed period, issue a tax invoice, showing the description, value, tax charged thereon and such other particulars as may be prescribed:

¹**Provided** that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification,-

(a) specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued, within such time and in such manner as may be prescribed;

(b) subject to the condition mentioned therein, specify the categories of services in respect of which-

(i) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(ii) tax invoice may not be issued.]

1 Proviso substituted by Finance Act, 2020 (No. 12 of 2020). It is made effective from 01-01-2021 by Noti. No. 92/2020–Central Tax, dt. 22-12-2020. Earlier to substitution it read as under:

"**Provided** that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification and subject to such conditions as may be mentioned therein, specify the categories of services in respect of which –

(a) any other document issued in relation to the supply shall be deemed to be a tax invoice; or

(b) tax invoice may not be issued."

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2)–
- (a) a registered person may, within one month from the date of issuance of certificate of registration and in such manner as may be prescribed, issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration to him;
 - (b) a registered person may not issue a tax invoice if the value of the goods or services or both supplied is less than two hundred rupees subject to such conditions and in such manner as may be prescribed;
 - ²(c) a registered person supplying exempted goods or services or both or paying tax under the provisions of section 10 shall issue, instead of a tax invoice, a bill of supply containing such particulars and in such manner as may be prescribed:
Provided that the registered person may not issue a bill of supply if the value of the goods or services or both supplied is less than two hundred rupees subject to such conditions and in such manner as may be prescribed;
 - (d) a registered person shall, on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both, issue a receipt voucher or any other document, containing such particulars as may be prescribed, evidencing receipt of such payment;
 - (e) where, on receipt of advance payment with respect to any supply of goods or services or both the registered person issues a receipt voucher, but subsequently no supply is made and no tax invoice is issued in pursuance thereof, the said registered person may issue to the person who had made the payment, a refund voucher against such payment;
 - (f) a registered person who is liable to pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered on the date of receipt of goods or services or both;
 - (g) a registered person who is liable to pay tax under sub-section (3) or sub-section (4) of section 9 shall issue a payment voucher at the time of making payment to the supplier.
- (4) In case of continuous supply of goods, where successive statements of accounts or successive payments are involved, the invoice shall be issued before or at the time each such statement is issued or, as the case may be, each such payment is received.

2 Following has been clarified by GST (3rd ROD) Order, 2019 [Order No. 3/2019-Central Tax], dt. 08-03-2019:

It is hereby clarified that provisions of clause (c) of sub-section (3) of section 31 of the said act shall apply to a person paying tax under notification no. 2/2019- Central Tax, dt. 07-03-2019.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (5) Subject to the provisions of clause (d) of sub-section (3), in case of continuous supply of services, –
- (a) where the due date of payment is ascertainable from the contract, the invoice shall be issued on or before the due date of payment;
 - (b) where the due date of payment is not ascertainable from the contract, the invoice shall be issued before or at the time when the supplier of service receives the payment;
 - (c) where the payment is linked to the completion of an event, the invoice shall be issued on or before the date of completion of that event.
- (6) In a case where the supply of services ceases under a contract before the completion of the supply, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases and such invoice shall be issued to the extent of the supply made before such cessation.
- (7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or six months from the date of removal, whichever is earlier.

Explanation—For the purposes of this section, the expression “tax invoice” shall include any revised invoice issued by the supplier in respect of a supply made earlier.

अध्याय 7

कर बीजक, प्रत्यय और नामे नोट

धारा 31 : कर बीजक

(1) कराधेय माल की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,—

(क) जहां पूर्ति में मालों का संचलन अंतर्वलित है, वहां प्राप्तिकर्ता को पूर्ति के लिए माल को हटाए जाने से पूर्व या हटाते समय; या

(ख) किसी अन्य मामले में, माल के परिदान या प्राप्तिकर्ता को उपलब्ध कराए जाने से पूर्व या कराते समय,

माल का वर्णन, परिमाण और मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, माल या आपूर्तियों के ऐसे प्रवर्गों, जिनके संबंध में कर बीजक जारी किया जाएगा, को विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) कराधेय सेवाओं की पूर्ति करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सेवा के उपबंध के पूर्व या पश्चात्, किन्तु विहित अवधि के भीतर माल के वर्णन, परिमाण और मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा :

¹[.....]

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से प्रारंभ होने वाली और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख तक की अवधि के दौरान पहले से जारी बीजक के प्रति पुनरीक्षित बीजक जारी कर सकेगा;

1 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा परंतुक विलोपित। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था :

^A[परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, कर बीजक जारी किया जा सकेगा;

(ख) इसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में—

(i) पूर्ति के संबंध में जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक समझा जाएगा; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।”

A. वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा परंतुक प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था:

“परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और उसमें उल्लिखित की जाने वाली शर्तों के अध्वधीन रहते हुए ऐसी सेवाओं के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में—

(क) पूर्ति के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज का बीजक समझा जाएगा; या

(ख) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा।”

- (ख) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस समय कर बीजक जारी नहीं कर सकेगा यदि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का मूल्य दो सौ रुपए से कम है;
- 2(ग)** छूट-प्राप्त माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करने वाला या धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक पूर्ति बिल जारी करेगा;
- परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस समय पूर्ति बिल जारी नहीं करेगा, यदि पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दो सौ रुपए से कम है;
- (घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवा या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में अग्रिम संदाय की प्राप्ति पर ऐसी संदाय की प्राप्ति का साक्ष्य देते हुए ऐसी विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाला कोई रसीद वाऊचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा;
- (ङ) जहां, माल या सेवा या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में अग्रिम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वाऊचर जारी करता है, किन्तु पत्पश्चात् कोई पूर्ति नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस व्यक्ति को, जिसने संदाय किया है, ऐसे संदाय के प्रति कोई प्रतिदाय वाऊचर जारी कर सकेगा;
- (च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे पूर्तिकार से, जो माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को रजिस्ट्रीकृत नहीं है, प्राप्त माल या सेवा या दोनों के संबंध में कोई बीजक जारी करेगा;
- (छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, ऐसे पूर्तिकार को जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, संदाय करते समय संदाय वाऊचर जारी करेगा।
- (4) माल की निरंतर पूर्ति की दशा में, जहां लेखाओं के विवरण या आनुक्रमिक संदाय अंतर्वलित हैं, वहां बीजक को, यथास्थिति, प्रत्येक ऐसे विवरण को जारी करते समय या उससे पूर्व या, जब प्रत्येक ऐसा संदाय प्राप्त किया जाता है, जारी किया जाएगा;
- (5) उपधारा (3) के खंड (घ) के उपबंधों के अधीन सेवाओं की निरंतर पूर्ति की दशा में,—
- (क) जहां संदाय की तारीख को संविदा से अभिनिश्चित किया जा सकता है, वहां बीजक संदाय की नियत तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा;
- (ख) जहां संदाय की तारीख को संविदा से अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, वहां बीजक उस समय या उससे पूर्व जारी किया जाएगा जब सेवाओं का पूर्तिकार

2 केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों का तृतीय निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 3/2019-केन्द्रीय कर] दिनांक 08.03.2019 द्वारा निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है:
कठिनाईयों के निवारण के लिए, एतद्वारा, स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के उपवाक्य (ग) के प्रावधान उसी व्यक्ति पर लागू होंगे, जो कि अधिसूचना संख्या 2/2019, दिनांक 07.03.2019।

संदाय प्राप्त करता है;

- (ग) जहां संदाय को किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा जाता है, वहां बीजक उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा।
- (6) किसी ऐसे मामले में जहां किसी संविदा के अधीन पूर्ति के पूरा होने से पूर्व सेवाओं की पूर्ति रुक जाती है, वहां बीजक ऐसे समय पर जारी किया जाएगा जब पूर्ति रुक जाती है और ऐसा बीजक ऐसे रुकने से पूर्व हुई पूर्ति की सीमा तक जारी किया जाएगा।
- (7) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजे जा रहे या लिए जा रहे माल को पूर्ति किए जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहां बीजक पूर्ति के समय या उससे पूर्व अथवा हटाए जाने की तारीख से छह मास में, जो भी पूर्वतर हो, जारी किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “कर बीजक” पद के अंतर्गत पहले की गई किसी पूर्ति के संबंध में पूर्तिकार द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक भी होगा।
